SJU Govt. Registered Social Justice Union

दैनिक

# न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक


**आवश्यक सूचना**

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 18 फरवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 142

## मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का किया शुभारंभ

**रायपुर (आरएनएस)।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीपप्रज्वलन कर एवं राज्य गीत अरपा पैरी के धार से छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ किया। सुभाष स्टेडियम में 17 से 19 फरवरी तक होगा कार्निवाल का आयोजन कार्निवाल का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा आईआईएमआर हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करने तथा इसके पोषक तत्वों के प्रति जन-जागरूकता लाने के उद्देश्य से हो रहा है कार्निवाल का आयोजन। कार्निवाल में मिलेट फूड कोर्ट में आम नागरिक मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठा सकेंगे। कार्निवाल में मिलेट स्टार्ट-अप अपने पैकेज्ड मिलेट उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। कार्निवाल में जनजागरूक के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नुक्कड़ नाटक और स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश के चर्चित शेफ मिलेट के नए-नए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना भी सिखाएंगे। मिलेट्स कार्निवल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उदबोधन प्रारम्भ मिलेट्स को पहले मेहनतकशों का भोजन समझा जाता था।

**मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर है, शुगर कम से कम है**

आज 1 लाख 65 हजार हेक्टेयर में मिलेट्स की खेती हो रही है। पहले 70 हेक्टेयर में खेती होती थी राज्य सरकार के प्रोत्साहन से उत्पादन रकबे में दो से ढाई गुना वृद्धि हुई मिलेट्स उत्पादन, संग्रहन, प्रसंस्करण से लोगों को रोजगार मिला मिलेट्स को मध्यान्ह भोजन में शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ मिलेट्स का हब है। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया गया। इससे हमारे किसानों का उत्साह बढ़ा पहले ही साल में 55 हजार क्विंटल मिलेट्स की खरीदी की गई। कोदो, कुटकी एवं रागी का बाजार मूल्य जहां पहले 12 से 15 रुपए हुआ करता था वह आज बढ़कर 25 से 28 रुपए तक पहुच चुका है। मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। राज्य शासन की आर्थिक मदद से कांकेर जिले के नथिया नवागांव में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना निजी क्षेत्र में की गयी है।

### छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट कैफे से मिल रही हर माह तीन लाख रुपए तक की आमदनी

**रायपुर (आरएनएस)।** एक दौर था जब मोटे अनाजों को सस्ते अनाज के रूप में देखा जाता था और इनकी वास्तविक उपयोगिता से लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के मिलेट मिशन ने आज इन मोटे अनाजों को एक नई पहचान दिलाई है। मिलेट्स से बने पकवानों को एक नई पहचान दिलाने और महिलाओं के लिए आर्थिक तरक्की के रास्ते खोलने के लिए प्रदेश के रायगढ़ शहर में छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे स्थापित किया गया है। कैफे का संचालन महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में चल रहे छत्तीसगढ़ मिलेट्स कार्निवाल में शिरकत करने पहुंची समूह की महिलाओं ने बताया कि इस कैफे के माध्यम से हर माह करीब 3 लाख रुपए तक की आमदनी हो रही है। रायगढ़ में कैफे का संचालन कर रहे अनुभव स्व सहायता समूह की सदस्यों रोहनी पटनायक, ऐनू नाहर, वीणा मीरी, रामेश्वरी यादव ने बताया, जिला प्रशासन के शुरुआती सहयोग से मिलेट कैफे की स्थापना की थी और अब हमारा कैफे एक लाभप्रद व्यवसाय बन गया है। इस कैफे में हम मोटे अनाजों से मिलेट चीला, डोसा, मिलेट मोमोज, मिलेट पिज्जा, मिलेट मंचूरियन और कोदो बिरयानी जैसे पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को अब लोग काफी पसंद करने लगे हैं और इनकी काफी अधिक बिक्री होती है। कैफे के माध्यम से हम वर्तमान में प्रतिमाह करीब 3 लाख रुपए के पकवानों का विक्रय कर रहे हैं। रायगढ़ शहर के शासकीय नटवर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास सी-मार्ट के बाजू में शुरू हुए इस कैफे में रागी से बने पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, पिज्जा, नूडल, पकोड़े, समोसे, दोसा, कोदो से बनी बिरयानी के साथ ही सैंडविच, बर्गर का स्वाद लेने का अवसर लोगों को मिल रहा है। समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि पहले उनके पास कोई स्थाई रोजगार नहीं था। मिलेट मिशन से जुड़ने के बाद अब उन्हें प्रतिमाह अच्छी आमदनी हो रही है जिससे वह स्वावलंबी होने के साथ-साथ अपने परिवार को भी आर्थिक सहयोग कर पा रही हैं।

**इन चीजों का कर रहे उत्पाद-** मिलेट्स कैफे के माध्यम से मिलेट्स समोसा, मिलेट्स चीला, मिलेट्स दोसा, मिलेट्स दही बड़ा, मिलेट्स इडली, मिलेट्स पकोड़ा, मिलेट्स रोटी, मिलेट्स पराठा, मिलेट्स बिरयानी, मिलेट्स मंचूरियन, मिलेट्स वेज लॉलीपॉप, मिलेट्स मोमोस, मिलेट्स पिज्जा, मिलेट्स बरगर, मिलेट्स पनीर चिल्ली, मिलेट्स शेक, रागी मिल्क शेक, रागी माल्ट, रागी चाय सहित मिठाई का निर्माण किया जा रहा है।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### दुधवा रिजर्व में बाघ के हमले में किशोरी की मौत

**लखीमपुर खीरी (आरएनएस)।** दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर) में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य (केडब्ल्यूएस) के कोर जोन क्षेत्र में एक किशोरी को एक बाघ ने उस समय मार डाला, जब वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। घटना बीती शाम की है। उसके चिल्लाने पर ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े लेकिन उसे मृत पाया। पीड़िता की पहचान मैलानी पुलिस सर्कल के अंतर्गत कोरियाना गांव की 18 वर्षीय पार्वती के रूप में हुई है। दुधवा टाइगर रिजर्व के उप क्षेत्र निदेशक, रंगाराजू तमिलसेल्वन ने कहा कि लड़की किशनपुर अभयारण्य के मैलानी रेंज के जंगल के अंदर कोर जोन में घुस गई, जहां एक बाघ ने उस पर हमला कर मार डाला। तमिलसेल्वन ने कहा कि कोर जोन में किसी भी मानव को जाने की अनुमति नहीं दी जाती चाहिए। अधिकारी ने ग्रामीणों से संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश करने से बचने का आग्रह किया, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

### अनुच्छेद 370 पर फिर से बहस शुरू, सुप्रीम कोर्ट दायर याचिकाओं को लिस्ट करने पर करेगा विचार

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। इस मामले में अलग-अलग कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने मांग की थी। इसपर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'ठीक है, मैं इसपर फैसला लूंगा।'

### इन्द्रा मार्केट इलाके में गिरा मकान का छज्जा, नीचे बैठे लोग बाल बाल बचे

**कोटा (आरएनएस)।** शहर के इन्द्रा मार्केट में पुरानी बिल्डिंग का छज्जा अचानक गिर गया। इस हादसे में बिल्डिंग के नीचे बैठे लोग बाल बाल बच गए। वहीं सूचना पर पुलिस के अलावा नगर निगम महापौर मंजू मेहरा सहित निगम अन्य अधिकारी पहुंचे और घटना के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी भी ली। स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग के मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा कि बिना परमिशन के आज से करीब 15 साल पहले इस बिल्डिंग पर मोबाइल के दो टावर लगा दिए गए। तभी से बिल्डिंग के आसपास की दुकानों पर खतरा मंडरा रहा है। जिसकी शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन अधिकारियों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। टावरों की वजह से बिल्डिंग में कई जगहों पर दरार भी आ चुकी है। आज छज्जे का हिस्सा नीचे गिर गया। इस हादसे में जनहानी नहीं हुई है लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं महापौर ने इस हादसे पर गंभीरता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इसकी शिकायत इन्द्रा मार्केट व्यापार संघ को भी दी गई है लेकिन वो भी लापरवाही बरत रही है।

### यूपी में बर्थडे पार्टी में डांसर के साथ गैंगरेप

**उन्नाव (आरएनएस)।** उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर की बर्थडे पार्टी में डांसर को बुलाकर छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। एक अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपी फरार हैं, उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उसकी तीन नर्तकियों की टीम को दीपक नगर में पार्टी में प्रदर्शन के लिए 6,000 रुपये में हायर किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि जब वे कार्यक्रम से जा रही थीं, तो शराब के नशे में छह लोगों ने उसे एक कार में अगवा कर लिया और पास के जंगल में उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का आरोप है कि उसने अपनी शिकायत लेकर पहले जाजमऊ पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में, उसने उन्नाव सदर में कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद आरोपियों पर केस दर्ज किया गया।

## मौर्य की रामचरितमानस टिप्पणी का विरोध करने पर सपा के दो प्रवक्ता पार्टी से निष्कासित

**लखनऊ (आरएनएस)।** समाजवादी पार्टी (सपा) ने पूर्व मीडिया पैनलिस्ट रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों ने रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के खिलाफ आवाज उठाई थी। ऋचा सिंह ने एक ट्वीट में पार्टी नेतृत्व से कहा कि वह लोगों को उनके निष्कासन के कारण के बारे में बताएं।

इस कार्रवाई से सपा अध्यक्ष ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पार्टी मौर्य के रुख का समर्थन कर रही है और इस मुद्दे पर किसी तरह की असहमति बर्दाश्त नहीं करेगी।

पार्टी ने अपने नेताओं और पदाधिकारियों को सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों पर बहस से बचने और राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी कहा है।

सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक बयान में कहा, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट यह ध्यान रखें कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया (पार्टी आइकन) के आदर्शें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से प्रेरणा लेती है।

चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी जातिगत जनगणना (सामाजिक न्याय के लिए) की मांग करती रहेगी। किसान, युवा और समाज के सभी वर्ग परेशान हैं। महिलाओं और लड़कियों को अपमान का सामना करना पड़ रहा है और पूरे राज्य में अराजकता है।

## यूपी बोर्ड : पहले ही दिन चार लाख परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा

**प्रयागराज (आरएनएस)।** यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पहले ही दिन चार लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। यूपी बोर्ड मुख्यालय को 75 जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत 31,14,224 में से 2,18,189 छात्रों ने पहली पाली में परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली में अनुपस्थित रहने वालों में हाई स्कूल के 31,08,584 में से 2,17,702 और इंटरमीडिएट के 487 छात्र शामिल हैं।

दूसरी पाली में भी, कुल पंजीकृत 25,80,544 में छात्रों में से इंटरमीडिएट के 1,83,865 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। इस प्रकार कुल 4,02,054 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी।

बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर नकल विरोधी कड़े कदम उठाए जाने के कारण पहले ही दिन चार लाख छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। पहले दिन गाजीपुर में पांच और मथुरा, जौनपुर, बुलंदशहर और लखनऊ में एक-एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए।

बोर्ड के अधिकारियों ने कहा, इन नौ व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

पहले दिन की परीक्षा में 11 छात्र नकल करते पकड़े गए। अधिकारियों ने कहा कि हाई स्कूल के सात छात्र और तीन छात्राएं और इंटरमीडिएट का एक छात्र पकड़ा गया।

पहली पाली में परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के आरोप में गाजीपुर के सुचित नंदन इंटर कॉलेज, विशनपुरा के प्राचार्य योगेंद्र यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

राज्य सरकार ने परीक्षाओं के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए पुलिस के साथ-साथ स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) और राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के कर्मियों की तैनाती की है।

नकल न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, राज्य भर के सभी 8,753 परीक्षा केंद्रों के 1.43 लाख परीक्षा कक्षों में 3 लाख वॉयस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इनमें 540 सरकारी संस्थान, 3,523 निजी और 4,690 गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज शामिल हैं।

लखनऊ में केंद्रीय राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से भी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा रही है। इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए जेल में बंद कुल 170 कैदी भी पंजीकृत हैं। उनमें से 79 हाई स्कूल परीक्षा में और 91 इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे।

## गैस टैंकर-ट्रेलर की भिड़ंत में 4 लोग जिंदा जले : 10 मकान व 2 ट्रक भी आए चपेट में

**अजमेर (आरएनएस)।** अजमेर से एक बडा हादसा होने की खबर सामने आयी है। नेशनल हाईवे-8 पर रानी बाग रिसोर्ट के पास गुरुवार देर रात 12.30 बजे गैस टैंकर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि 500 मीटर का क्षेत्र आग का गोला बन गया। हादसे में तीन लोग जिंदा जल गए और चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इलाज के दौरान शुक्रवार एक और घायल की मौत हो गई।

भिड़ंत के बाद धमाका भी हुआ, जिससे गैस टैंकर में आग लग गई। हाईवे पर चल रहे दो ट्रक और कई दुपहिया वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। मिश्रीपुरा और गरीब नवाज कॉलोनी सहित आसपास फैली आग से 10 से ज्यादा मकानों में भी आग लग गई। मृतकों में गैस टैंकर और मार्बल पत्थर लेकर जा रहे ट्रेलर दोनों के ड्राइवर शामिल हैं। घायलों को जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

देर रात हुए हादसे के बाद सूचना मिलने पर रात एक बजे से कलेक्टर अंशदीप और एसपी चूनाराम जाट ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करवाया। स्थानीय थाना पुलिस, दमकल, एंबुलेंस ने मौके पर रात बचाव कार्य किया गया। मौके पर मौजूद वाहन चालकों के मुताबिक आग लगने से काफी देर तक हाइवे पर जाम लग गया। सुराणा पोल फैक्ट्री के प्रत्यक्षदर्शी चौकीदार हुसैन खान ने बताया कि धमाके की आवाज काफी दूर तक आवाज सुनाई दी।

### श्रद्धालुओं से भरी कार खाई में गिरी, 5 की मौत

**छिंदवाड़ा (आरएनएस)।** महादेव मेले में दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा गामा वाहन गोराघाट घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमें सवार 5 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई जबकि 7 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए, घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है जबकि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम जारी है। थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब गामा वाहन गोराघाट घाटी से नीचे उतर रहा था इस दौरान तेज गति होने के कारण वाहन चालक वाहन को मोड़ नहीं पाया और हम सीधे खाई में गिर गया खाई लगभग 200 फीट गहरी थी जिसके कारण गामा वाहन के परखच्चे उड़ गये जबकि उसमें बैठे चार लोग बुरी तरह से जख्मी हो गये जिन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बैतूल के आठनेर निवासीलक्ष्मी छनू उइके (20), सचिन कलीराम उइके (20), किसन सोमा कड़वे (40) हेमंद्र कड़वे जगनू कड़वे (26) कलीराम उईके वाहन में बुरी तरह से फंस गए थे जिन की मौके पर ही मौत हो गई वहीं अन्य लोग घायल हुए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही उन्हें हादसे की सूचना मिली वह तत्काल मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने ग्रामीणों की मदद से सभी शवों को बाहर निकाल दिया वहीं घायलों को भी रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है।

## अडानी केस पर अपनी कमेटी बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहा- सीलबंद सुझावों को नहीं करेंगे स्वीकार

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** अदाणी केस पर अब सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की समिति का गठन करेगा। इस मामले में सरकार ने मुहरबंद लिफाफे में एक्सपर्ट पैनल का सुझाव दिया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में बंद लिफाफे में भेजे गए सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहिए।

अदाणी ग्रुप के शेयरों में यह उठा-पटक अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होने के बाद दिख रही है। हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बंद लिफाफे में सुझाव दिए हैं, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट का मानना है कि इस मामले में हमें पूरी पारदर्शिता चाहिए और अगर सरकार के कदम को स्वीकार कर लिया गया तो इससे संदेश जाएगा कि सरकार की तरफ से बनी कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह खुद समिति का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी मामले में अपनी खुद की कमेटी गठित करने का फैसला किया है।

## हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित : युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम

- **हुक्का बार संचालन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कायम होगा गैर-जमानतीय अपराध**
- **संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू**

**रायपुर (आरएनएस)।** प्रदेश में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाते हुए राज्य में एक स्वस्थ्य वातावरण के निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

प्रदेश के विभिन्न भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट आदि सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवरयुक्त सामग्री के अलावा तम्बाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग किये जाने से युवा पीढ़ी सहित आमजन आकर्षित होकर अपने स्वास्थ्य का नुकसान करने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। अतः इन हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस अवैध गतिविधि पर संज्ञान लेते हुये हुक्का बारों पर कठोर कार्यवाही करने तथा समस्त हुक्का बारों को बंद किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में पुलिस विभाग द्वारा समस्त हुक्का बारों पर कठोर कार्यवाहियां की गई तथा प्रदेश के समस्त हुक्का बारों को बंद कराया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा निर्देश दिया गया कि उपरोक्त अधिनियम में वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये आवश्यक संशोधन किया जाये, ताकि युवा पीढ़ी इस प्रकार के नशे की आदि न हो सके। निर्देशों को गंभीरता से लेते हुये भारत सरकार के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में आवश्यक संशोधन का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार किया गया। अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् सक्षम अनुमति प्राप्त की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 10 फरवरी 2023 को अधिनियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया।

संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल के माध्यम से धूम्रपान को भी निषिद्ध किया गया है। हुक्का बार के संचालन पाये जाने पर हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जप्त करने का प्रावधान किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति हुक्का बार का संचालन करते पाया जाएगा उसके विरूद्ध गैर-जमानतीय अपराध कायम होगा तथा वह ऐसे कारावास जो कि 03 वर्ष तक का हो सकेगा, किन्तु 01 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कि 50 हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो 10 हजार रुपये से कम का नहीं होगा, से दण्डनीय होगा। इसी तरह जो कोई व्यक्ति हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान करते हुये पाया जाता है तो वह ऐसे जुर्माना, जो कि 5 हजार रुपये तक हो सकेगा, किन्तु जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा। यह संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।

अधिनियम के कठोर प्रावधानों से हुक्का बारों के संचालन एवं हुक्का बारों में सम्मिलित होकर हुक्कापान करने की प्रवृत्ति पर निश्चित रूप से प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।